जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर ने अपने पत्रांक 1457 दिनांक 15.10.2018 द्वारा श्री अमित विशाल, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–चौंराव, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर पर निम्नांकित कारणों से कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है :–

दिंनांक 27.07.2018 को जिला स्तर पर अम्बेदकर भवन, गोपालगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की बैठक में अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने, प्रखण्ड स्तर पर आयोजित दिनांक 17.07.2018 एवं 25.07.2018 की समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत मात्र एक (01) लक्ष्य के विरुद्ध आवास को पूर्ण नहीं कराने, कार्यो में लापरवाही एवं स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निरीक्षण नहीं करने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के ज्ञापांक 1030 दिनांक 28.07.2018, ज्ञापांक 1072 दिनांक 07.08. 2018 एवं ज्ञापांक 1417 दिनांक 09.10.2018 द्वारा श्री अमित विशाल से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिसका जवाब श्री अमित विशाल द्वारा नहीं दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1149 दिनांक 25.08.2018, ज्ञापांक 1265 दिनांक 18.09.2018, ज्ञापांक 1529 दिनांक 27.10.2018 एवं ज्ञापांक 1680 दिनांक 12.11.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में श्री अमित विशाल से स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु उनसे स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिला स्तर पर दिनांक 20.08.2018 (ज्ञापांक 1058 दिनांक 23.08.2018), दिनांक 13.09.2018 (ज्ञापांक 1351 दिनांक 03.10.2018), दिनांक 05.10.2018 (ज्ञापांक 1470 दिनांक 10.10.2018), दिनांक 11.10.2018 (ज्ञापांक 1487 दिनांक 15.10.2018) एवं दिनांक 30.11.2018 (दिनांक 1599 दिनांक 05.11.2018) को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिससें यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि श्री विशाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर से दिये गये निदेशों का निरंतर अवहेलना की गई है, जो उनके कर्तब्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों एवं अनुशंसा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज द्वारा की गई कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, अपने वरीय पदाधिकारी के निदेश का उल्लंघन करने के मद्देनजर श्री अमित विशाल, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–चौराव, प्रखण्ड–गोपालगंज का अनुबंध तात्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो अनुबंध रद्द आदेश के विरुद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

ह० —

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 2503 /अभि० दिनांक 18-12-18 /

प्रतिलिपि :– श्री अमित विशाल, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–चौराव, प्रखण्ड–गोपालगंज सदर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख, संचिका पंजी आदि का प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।